क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	22/3/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा के साथ पेश कर प्रार्थना पत्र के चरण संख्या-② में अंकित भूमि वाद ग्रस्त से अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की प्रार्थना की है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रार्थना संख्या ② में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी ① ता ⑤ सहखातेदार काश्तकार है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करवा सकता है। चूंकि प्रार्थी ने दावा एवं यह प्रार्थना पत्र सहखातेदारों के विरुद्ध पेश किया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। [signature] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

फर्द अहकाम

न्यायालय: उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जयपुर (राज.)

रामफूल बनाम मन्नालाल

…ा संख्या /वर्ष : 198 /20 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	